तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व … अहकाम … हुक्म की … में जारी हु…
22.5.26	पत्रावली पेश हुई। दाता वादी विरुद्ध प्रतिवादी गण आंशिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

ठाकुरजी मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज वलदेव जी वाके वटवाडा करौली जरिये नैक्स्ट फैण्ड एवं दर्शनार्थी कान्ती किशोर पुत्र भंवर लाल जाति ब्राहमण निवासी करौली एंव गिर्राज प्रसाद पत्रु रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. रामचरण } पिसरान
2. रामबाबू } रामजीलाल
3. रामस्वरूप }
4. कल्याण } पिसरान
5. पीतम } किसनलाल
6. हल्की बेवा भौली (फौत)
7. मु.गुल्लो बेवा बुद्धु (फौत)
   7/1. पप्पू } पिसरान बुद्धु जाति माली
   7/2. कैलाश } वारिस काबिज जायदाद
   7/3. भंवर } मृतक गुल्लो
8. फूल सिंह पुत्र राम सिंह

(क्रमांक 1 से 8 तक) जाति माली निवासी झील का हार करौली तहसील व जिला करौली

9. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणा, दखल एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 65/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री [illegible], एडवोकेट मिनजानिव मुदई रूवरू श्री रामनिवास........................, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिकी किया जाता है। वादी मंदिर को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5727, 5728 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 8 विस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी मंदिर के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें एवं दीगर व्यक्तियों को भूमि को रहन वय नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। निज .... मुवलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.5.26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्वा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–65/11 तारीख रजु:–25.7.11

उनवान

ठाकुरजी मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज बलदेव जी वाके बटवाडा करौली जरिये नैक्स्ट फैण्ड एवं दर्शनार्थी कान्ती किशोर पुत्र भंवर लाल जाति ब्राहमण निवासी करौली एंव गिर्राज प्रसाद पत्रु रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. रामचरण } पिसरान
2. रामबाबू } रामजीलाल
3. रामस्वरूप } पिसरान
4. कल्याण } किसनलाल
5. पीतम }
6. हल्की बेवा भौली (फौत)
7. मु.गुल्लो बेवा बुद्दु (फौत)
   - 7/1. पप्पू } पिसरान बुद्दु जाति माली
   - 7/2. कैलाश } वारिस काबिज जायदाद
   - 7/3. भंवर } मृतक गुल्लो
8. फूल सिंह पुत्र राम सिंह
9. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर

(1–8) जाति माली निवासी झील का हार करौली तहसील व जिला करौली

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र घोषणा, दखल एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–::निर्णय::– दिनांक :– 22-5-16

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ठाकुर जी बलदेव जी महाराज शाश्वत नावालिग है। वादी की ओर से वादी की हितो की रक्षार्थ प्रार्थीगण को नैक्स्ट फैण्ड एवं दर्शनार्थी होने के नाते दावा करने का पूर्ण अधिकार है व वादी के हितो की रक्षा करने का पूर्ण कर्तव्य है। प्रार्थीगण का कोई व्यक्तिगत हित नही है। मंदिर ठाकुर जी सार्वजनिक है। वाके कस्बा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 5727 रकवा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खसरा नंबर 5728 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजीयात संवत् 2015 से पूर्व से वादी मंदिर ठाकुर जी महाराज बलदेव जी वाके कस्बा करौली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, और उक्त मंदिर की पूजा वाहैसियत पुजारी भौरू पुत्र कुन्दन ब्राहमण करता था अब उसके दहावसान के बाद अलग अलग व्यक्ति पूजा सेवा करते रहे है और अब भी सार्वजनिक रूप से पुजारी की व्यवस्था कर ठाकुर जी के राज भोग व सेवा पूजा की व्यवस्था, मरम्मत के लिये उपयोग उपभोग की व्यवस्था विवादित आराजीयात से प्राप्त आय से की जा रही हें विवादित आराजीयात से प्राप्त आय का उपयोग उपभोग सदा से मंदिर ठाकुर जी महाराज बलदेव जी करते चले आ रहे है। जो वादी के वाहिद खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। वादी विवादित भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार हैं। जिसकी प्रतिवादीगण एवं समस्त कस्बा वासियों की पूर्ण जानकारी व ज्ञान में है। प्रतिवादीगण 1 ता 7 के पूर्वज चन्दू पुत्र गणेश माली ने राजस्व कर्मियो से साजिश कर वादी मंदिर ठाकुर जी की खातेदारी व कब्जे काश्त विवादित आराजीयात का अवैध खातेदारी इन्द्राज वादी मंदिर से छिपाते हुये अनाधिकार तौर पर सेटिलमेंट संवत् 2015 से अपने हक में करा लिये जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 18.7.11 को पटवारी हल्का ने दी जिसकी नकल दिनांक 18.2.11 को मिली नकल जमाबंदी सेटलमेंट खतौनी 2015 प्राप्त करने पर हुई दिनांक 22.7.11 को हुई तब वादी ने दिनांक 23.7.11 को प्रतिवादी से 1 ता 7 से वादी मंदिर के हक में खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने को कहा तो प्रतिवादी 1 ता 7 साफ इंकार हो गये। इसलिये वाद पत्र पेश करना आवश्यक आया हैं। विवादित आराजीयात मंदिर ठाकुर जी बलदेव जी के खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। प्रतिवादी न0 1 के स्वयं व प्रतिवादी नं0 3 ता 7 के पति पिता व प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के परपिता चन्दू के हक में हुये अवैध खातेदारी व इन्द्राज हकूक वादी मंदिर पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन हैं और वादी मंदिर बाध्यकारी नही है। वादी मंदिर शाश्वत नावालिग होने से विवादित आराजीयात में प्रतिवादी नं0 1 ता 7 व पिता परपिता व पति व ससुर को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

वादी मंदिर विवादित आराजीयात की खातेदारी घोषणा अपने हक मे कराने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी की उक्त आराजीयात पर काबिज रखना नही चाहता है। क्यो कि प्रतिवादीगण के दिल मे बदनियति आ गई है और अवैध रूप से प्रतिवादीगण के नाम हुये इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने उक्त भूमि के रास्ते के सहारे वाले हिस्से को अवैध बेचान के द्वारा प्रतिवादी नं0 7 को बेचान कर दिया है। जिस अवैध बेचान के आधार पर प्रतिवादी नं0 7 के रास्ते के सहारे व दिशा पश्चिम से पूर्व 79 फुट बाई 34 फुट व दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की भुजा और दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम 67 फुट व दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा 18 फुट नीचे खोद कर दुकानों का निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। उस अवैध निर्माण को रोकने व अवैध बेचान के कारण वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा वापिस मांगने की दिनांक 23.74.11 को कहा तो साफ इंकार हो गये इसलिये प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर ट्रेस पासर काबिज होने से काबिल बेदखल हैं। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 अवैध खातेदारी से सबब आराजीयात को प्रतिवादी नं0 8 को रहन बय कर दिया व अवैध खातेदारी के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 7 विवादित भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर व आवासीय भूखण्ड बना कर निर्माण कार्य करने व कराने पर तुले हुये हैं। और वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की विवादित भूमि में व्यवधान करने पर व विवादित भूमि को अनुपयोगी बनाने पर तुले हुये है। वादी के मना करने पर आमादा फिसाद है। प्रतिवादीगण 1 ता 8 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादी पर भारी आघात है। और अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। इसलिये वादी मंदिर प्रतिवादीगण 1 ता 8 को को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अनाधिकार व अवैध निर्माण को जरिये आदेशात्मक आज्ञा तुडवाये जाने का अधिकारी है। विनाय मुखासमत दिनांक 18.7.11 का पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर व दिनांक 22.7.11 को नकल सेटिलमेंट खतौनी प्राप्त कर दिनांक 23.7.11 को प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 स्वय के व उनके पिता, प्रतिवादी नं0 3 ता 5 के पिता व 1 ता 5 के परपिता 6,7 के पति व ससुर के नाम हुये अवैध

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खातेदारी इन्द्राज को दुरूस्त कराने की कहने पर वादी के हकूको से साफ इंकार होने पर व अवैध निर्माण कार्य शुरू करने पर अंदर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। दावा अंदर म्याद व काबिल समाअत अदालत हाजा है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नंबर 7/1 ता 7/3 द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 9.2.26 को जबाव बंद किया गया तथा **प्रतिवादी नंबर 8 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि** आराजी खसरा नंबर 5727 व 5728 कुल रकवा 2 वीघा 8 विस्वा से वादी मंदिर का कोई ताल्लुक नही हैं। नाही बलदेव जी का कोई मंदिर है। नाही मंदिर बलदेवजी जी का भौरू पुत्र कुंदन नामक पुजारी ने कभी पूजा की। जब ठाकुर जी बलदेवजी का कोई मंदिर ही नही था ना अब है तो उसकी सेवा पूजा करने का कोई सवाल उठता है। उक्त आराजी खसरा नंबर 5727 5728 वाहिद खातेदारान रामजीलाल वगैरहा की खातेदारी की स्थित है। इनसे पूर्व इनके पूवजों के नाम थी। वर्तमान में उक्त आराजी खसरा नंबर 5727 व 5728 में काफी लंबे अर्से से कोई काश्त नही होती है तथा इसके खातेदारों ने मौके पर जुबानी बंटवारा कर आवासीय भूखण्ड बनाकर विक्रय कर दिये है। जिसमें बीसीयों मकानो का निर्माण हो चुका है। वादी का उक्त आराजी से कभी भी किसी प्रकार का ताल्लुक नही रहा है। ना अब है। प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 6 के पूर्वज चन्दू वगैरहा के नाम थी। इससे पूर्व चन्दू के पूर्वजो के नाम थी चन्दू का स्वर्गवास हुये पचासों साल हो गये है। पचासों साल से अधिक ..समय से उक्त आराजीयात प्रतिवाद.ीगण न.बर 1 ता 6 के पूर्वजो के नाम खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। दिनांक 18.7.11 को किसी भी पटवारी हल्का ने वादी को कोई जानकारी नही दी। बल्कि आम जनता को उक्त आराजीयात वगैरहा की खातेदारी के हक हकूक रामजीलाल वगैरहा व इनसे पूर्व चन्दू वगैरहा की खातेदारी व कब्जे काश्त होने बाबत थीं। दिनांक 23.7.11 को वादी द्वारा खातेदारी की कहना कतई बनावटी व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मनगढंत है। वादी को उक्त आराजीयात की खातेदारी दुरूस्त कराने का कोइ अधिकारी नही है। उक्त आराजीयात से ठाकुर जी बलदेव जी का कोई संबंध नही है ना पूर्व में कभी रहा उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 7 के खातेदारी की है व इससे पर्वू इनके पूर्वजों चन्दू वगैरहा की खातेदारी व कब्जे काश्त में पचासों साल से पूर्व से चली आ रही है तथा बीसीयों वर्ष पूर्व से ही इनके खातेदारो ने बीसीयों मकानात व दुकाने भूखण्ड बनाकर विकय कर दिये। जिनमें बीसीयों मकानात व दुकाने बनी हुई है तथा मय बाल बच्चो के इनमें रिहायश कर रहे है। इनमें कोई काश्त योग्य भूमि खाली नही है। बल्कि संपूर्ण हिससे में आबादी हो चुकी है व पक्के निर्माण हो चुके हैं। इसलिये वादी मंदिर उक्त आराजीयात की खातेदारी की घोषणा कराने का किसी भी प्रकार अधिकारी नही है। प्रतिवादी नंबर 7 ने आराजी खसरा नंबर 5728 में से 223 वर्गगज भूमि श्रीमति अंगूरी देवी पत्नी गिर्राज माली से जरिये इकरार नामा कय की भी अंगूरी देवी ने उक्त भूखण्ड 223 वर्गगज को उसके खातेदार रामजीलाल वगैरहा से कय की थी। उक्त भूखण्ड 223 वर्गगज भूमि दावाअन्दी की हुई को प्रतिवादी जवाबदराने श्रीमती अंगूरी देवी से कय किया था। जिस पर आज तक दासाबन्दी हो रही है। तथा दुकानात का निर्माण जवाबदार द्वारा दावा दायरी से पूर्व ही पूर्ण करा लिया गया था जो मौके पर अब भी मौजूद है। संपूर्ण खसरा नंबरान पर पुख्ता निर्माण हो चुका है। बीसीयो साल से उक्त आराजीयात में कभी कोई काश्त भी नही हुई है। उक्त खसरा नंबरान में निर्माण हो जाने से वादी को किसी प्रकार का आघात नही हैं। नाही असुविधा है नाही वादी को कोई अपूर्णीय क्षति है जवाबदार प्रतिवादी के अन्य भूखण्ड धारियों जो पुख्ता निर्माण कर लिये है उन्हे आदेशात्मक व्यादेश तुडवाये जाने का वादी को कोई अधिकार नही है। निर्माण किये गये मकान दुकानो के तोडे जाने से जवाबदार प्रतिवादी की बरबादी है तथा अपूर्णीय क्षति है। वादी प्रतिवादी के विरूद्व कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही हैं। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुयी है। वादी नैक्स्ट फ्रेण्ड कान्ती किशोर को दिनांक 18.7.11 को किसी भी पटवारी ने कोई जानकारी नही दी। बल्कि सभी को उक्त खसरा नंबरान

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

रामजीलाल वगैरहा की खातेदारी की होना व पूर्व में इनके पूर्वजों की होना जानकारी में था। जो अब भी इनके नाम ही खातेदारी इन्द्राज है। वादी प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम की खातेदारी के इन्द्राज को दुरूस्त कराने का कोई अधिकारी नही है। क्योंकि पचासों साल से अधिक पूर्व से ही उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 6 के पूर्वजों के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी जो आज तक बदस्तूर है। इसलिये दावा वादी मियाद बाहर है जो खारिज होने योग्य है। वादी चाही गई दादरसी खिलाफ प्रतिवादी जवाबदार पाने का अधिकारी नही है। दावा वादी वगै व निराधार तथ्यों को अदालत हाजा को गुमराह कर पेश किया है। वादी खिलाफ प्रतिवादी जवाबदार कोई स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः—

1. आया वांके कस्बा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 5727 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 5728 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजीयात संवत 2015 से पूर्व से वादी मंदिर ठाकुरजी महाराज बलदेव जी वांके कस्बा करौली खातेदारी व कब्जे काश्त की है। वादी विवादित भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार है। ——वादी
2. आया अनाधिकार अवैध निर्माण को प्रतिवादीगण के खर्चे से तुडवाया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। ——वादी
3. आया दावा म्याद बहार है जो खारिज होने योग्य है। ——प्रतिवादी नंबर 8

4. अनुतोष :—

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी कांतिकिशोर एवं गवाह रामखिलाडी के शपथ पत्र पेश किये है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श—1, नकल जमाबंदी संवत 2064—67 प्रदर्श—2 पेश कर प्रदर्शित कराया है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंदी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 23.04.2026 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस मे कथन है कि वादी ठाकुर जी बलदेव जी महाराज शाश्वत नावालिग है। वादी की ओर से वादी की हितो की रक्षार्थ प्रार्थीगण को नैक्स्ट फैण्ड एवं दर्शनार्थी होने के नाते दावा करने का पूर्ण अधिकार है व वादी के हितो की रक्षा करने का पूर्ण कर्तव्य है। प्रार्थीगण का कोई व्यक्तिगत हित नही है। मंदिर ठाकुर जी सार्वजनिक है। वाके कस्बा करौली वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 5727 रकवा 1 विस्वा गैर मुमकिन चाह व खसरा नंबर 5728 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 2 वीघा 8 विस्वा स्थित है। उक्त आराजीयात संवत् 2015 से पूर्व से वादी मंदिर ठाकुर जी महाराज बलदेव जी वाके कस्बा करौली की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, और उक्त मंदिर की पूजा वाहैसियत पुजारी भौरू पुत्र कुन्दन ब्राहमण करता था अब उसके दहावसान के बाद अलग अलग व्यक्ति पूजा सेवा करते रहे है और अब भी सार्वजनिक रूप से पुजारी की व्यवस्था कर ठाकुर जी के राज भोग व सेवा पूजा की व्यवस्था, मरम्मत के लिये उपयोग उपभोग की व्यवस्था विवादित आराजीयात से प्राप्त आय से की जा रही हें विवादित आराजीयात से प्राप्त आय का उपयोग उपभोग सदा से मंदिर ठाकुर जी महाराज बलदेव जी करते चले आ रहे है। जो वादी के वाहिद खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। वादी विवादित भूमि का तन्हा खातेदार काश्तकार हैं। जिसकी प्रतिवादीगण एवं समस्त कस्बा वासियों की पूर्ण जानकारी व ज्ञान में है। प्रतिवादीगण 1 ता 7 के पूर्वज चन्दू पुत्र गणेश माली ने राजस्व कर्मियो से साजिश कर वादी मंदिर ठाकुर जी की खातेदारी व कब्जे काश्त विवादित आराजीयात का अवैध खातेदारी इन्द्राज वादी मंदिर से छिपाते हुये अनाधिकार तौर पर सेटिलमेंट संवत् 2015 से अपने हक में करा लिये जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 18.7.11 को पटवारी हल्का ने दी जिसकी नकल

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दिनांक 18.2.11 को मिली नकल जमाबंदी सेटलमेंट खतौनी 2015 प्राप्त करने पर हुई दिनांक 22.7.11 को हुई तब वादी ने दिनांक 23.7.11 को प्रतिवादी से 1 ता 7 से वादी मंदिर के हक में खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने को कहा तो प्रतिवादी 1 ता 7 साफ इंकार हो गये। इसलिये वाद पत्र पेश करना आवश्यक आया हैं। विवादित आराजीयात मंदिर ठाकुर जी बलदेव जी के खातेदारी व कब्जे काश्त की हैं। प्रतिवादी न0 1 के स्वयं व प्रतिवादी नं0 3 ता 7 के पति पिता व प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के परपिता चन्दू के हक में हुये अवैध खातेदारी व इन्द्राज हकूक वादी मंदिर पर प्रारम्भ से ही शून्य बेअसर प्रभावहीन हैं और वादी मंदिर बाध्यकारी नही है। वादी मंदिर शाश्वत नावालिग होने से विवादित आराजीयात में प्रतिवादी नं0 1 ता 7 व पिता परपिता व पति व ससुर को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। वादी मंदिर विवादित आराजीयात की खातेदारी घोषणा अपने हक में कराने का अधिकारी हैं। वादी प्रतिवादीगण को अपने खातेदारी की उक्त आराजीयात पर काबिज रखना नही चाहतां है। क्यो कि प्रतिवादीगण के दिल में बदयान्ति आ गई है और अवैध रूप से प्रतिवादीगण के नाम हुऐ इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने उक्त भूमि के रास्ते के सहारे वाले हिस्से को अवैध बेचान के द्वारा प्रतिवादी नं0 7 को बेचान कर दिया है। जिस अवैध बेचान के आधार पर प्रतिवादी नं0 7 के रास्ते के सहारे व दिशा पश्चिम से पूर्व 79 फुट बाई 34 फुट व दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की भुजा और दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम 67 फुट व दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा 18 फुट नीचे खोद कर दुकानों का निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। उस अवैध निर्माण को रोकने व अवैध बेचान के कारण वादी ने प्रतिवादीगण से कब्जा वापिस मांगने की दिनांक 23.74.11 को कहा तो साफ इंकार हो गये इसलिये प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर ट्रेस पासर काबिज होने से काबिल बेदखल हैं। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 अवैध खातेदारी से सवव आराजीयात को प्रतिवादी नं0 8 को रहन वय कर दिया व अवैध खातेदारी के कारण प्रतिवादीगण 1 ता 7 विवादित भूमि को दीगर व्यक्तियों को विक्रय करने पर व आवासीय भूखण्ड बना कर निर्माण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

कार्य करने व कराने पर तुले हुये हैं। और वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की विवादित भूमि में व्यवधान करने पर व विवादित भूमि को अनुपयोगी बनाने पर तुले हुये है। वादी के मना करने पर आमादा फिसाद है। प्रतिवादीगण 1 ता 8 की इस अनाधिकार कार्यवाही से हक हकूक वादी पर भारी आघात है। और अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है। इसलिये वादी मंदिर प्रतिवादीगण 1 ता 8 को को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे अनाधिकार व अवैध निर्माण को जरिये आदेशात्मक आज्ञा तुडवाये जाने का अधिकारी है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण को बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 5727 व 5728 कुल रकवा 2 वीघा 8 विस्वा से वादी मंदिर का कोई ताल्लुक नही हैं। नाही बलदेव जी का कोई मंदिर है। नाही मंदिर बलदेवजी जी का भौरू पुत्र कुंदन नामक पुजारी ने कभी पूजा की। जब ठाकुर जी बलदेवजी का कोई मंदिर ही नही था ना अब है तो उसकी सेवा पूजा करने का कोई सवाल उठता है। उक्त आराजी खसरा नंबर 5727 5728 वाहिद खातेदारान रामजीलाल वगैरहा की खातेदारी की स्थित है। इनसे पूर्व इनके पूवजों के नाम थी। वर्तमान में उक्त आराजी खसरा नंबर 5727 व 5728 में काफी लंबे अर्से से कोई काश्त नही होती है तथा इसके खातेदारों ने मौके पर जुबानी बंटवारा कर आवासीय भूखण्ड बनाकर विक्रय कर दिये है। जिसमें बीसीयों मकानो का निर्माण हो चुका है। वादी का उक्त आराजी से कभी भी किसी प्रकार का ताल्लुक नही रहा है। ना अब है। प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 6 के पूर्वज चन्दू वगैरहा के नाम थी। इससे पूर्व चन्दू के पूर्वजो के नाम थी चन्दू का स्वर्गवास हुये पचासों साल हो गये है। पचासों साल से अधिक ..समय से उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 6 के पूर्वजो के नाम खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है। दिनांक 18.7.11 को किसी भी पटवारी हल्का ने वादी को कोई जानकारी नही दी। बल्कि आम जनता को उक्त आराजीयात वगैरहा की खातेदारी के हक हकूक रामजीलाल वगैरहा व इनसे पूर्व चन्दू वगैरहा की खातेदारी व कब्जे काश्त होने बाबत थीं। दिनांक 23.7.11

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

को वादी द्वारा खातेदारी की कहना कतई बनावटी व मनगढंत है। वादी को उक्त आराजीयात की खातेदारी दुरूस्त कराने का कोइ अधिकारी नही है। उक्त आराजीयात से ठाकुर जी बलदेव जी का कोई संबंध नही है ना पूर्व में कभी रहा उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 7 के खातेदारी की है व इससे पर्वू इनके पूर्वजों चन्दू वगैरहा की खातेदारी व कब्जे काश्त में पचासों साल से पूर्व से चली आ रही है तथा बीसीयों वर्ष पूर्व से ही इनके खातेदारो ने बीसीयों मकानात व दुकाने भूखण्ड बनाकर विक्रय कर दिये। जिनमें बीसीयों मकानात व दुकाने बनी हुई है तथा मय बाल बच्चो के इनमें रिहायश कर रहे है। इनमें कोई काश्त योग्य भूमि खाली नही है। बल्कि संपूर्ण हिससे में आबादी हो चुकी है व पक्के निर्माण हो चुके हैं। इसलिये वादी मंदिर उक्त आराजीयात की खातेदारी की घोषणा कराने का किसी भी प्रकार अधिकारी नही है। प्रतिवादी नंबर 7 ने आराजी खसरा नंबर 5728 में से 223 वर्गगज भूमि श्रीमति अंगूरी देवी पत्नी गिर्राज माली से जरिये इकरार नामा क्रय की भी अंगूरी देवी ने उक्त भूखण्ड 223 वर्गगज को उसके खातेदार रामजीलाल वगैरहा से क्रय की थी। उक्त भूखण्ड 223 वर्गगज भूमि दावाअन्दी की हुई को प्रतिवादी जवाबदराने श्रीमती अंगूरी देवी से क्रय किया था। जिस पर आज तक दासाबन्दी हो रही है। तथा दुकानात का निर्माण जवाबदार द्वारा दावा दायरी से पूर्व ही पूर्ण करा लिया गया था जो मौके पर अब भी मौजूद है। संपूर्ण खसरा नंबरान पर पुख्ता निर्माण हो चुका है। बीसीयो साल से उक्त आराजीयात में कभी कोई काश्त भी नही हुई है। उक्त खसरा नंबरान में निर्माण हो जाने से वादी को किसी प्रकार का आघात नही हैं। नाही असुविधा है नाही वादी को कोई अपूर्णीय क्षति है जवाबदार प्रतिवादी के अन्य भूखण्ड धारियों जो पुख्ता निर्माण कर लिये है उन्हे आदेशात्मक व्यादेश तुडवाये जाने का वादी को कोई अधिकार नही है। निर्माण किये गये मकान दुकानो के तोडे जाने से जवाबदार प्रतिवादी की बरबादी है तथा अपूर्णीय क्षति है। वादी प्रतिवादी के विरूद्व कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही हैं। वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुयी है। वादी नैक्स्ट फ्रैण्ड कान्ती

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

किशोर को दिनांक 18.7.11 को किसी भी पटवारी ने कोई जानकारी नही दी। बल्कि सभी को उक्त खसरा नंबरान रामजीलाल वगैरह की खातेदारी की होना व पूर्व में इनके पूर्वजों की होना जानकारी में था। जो अब भी इनके नाम ही खातेदारी इन्द्राज है। वादी प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम की खातेदारी के इन्द्राज को दुरूस्त कराने का कोई अधिकारी नही है। क्योंकि पचासों साल से अधिक पूर्व से ही उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण नंबर 1 ता 6 के पूर्वजों के खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही थी जो आज तक बदस्तूर है। इसलिये दावा वादी मियाद बाहर है जो खारिज होने योग्य है। वादी चाही गई दादरसी खिलाफ प्रतिवादी जवाबदार पाने का अधिकारी नही है। दावा वादी वगै व निराधार तथ्यों को अदालत हाजा को गुमराह कर पेश किया है। वादी खिलाफ प्रतिवादी जवाबदार कोई स्थायी निषेधाज्ञा व आज्ञापक व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने भार वादीगण पर है। वादी ने इस संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2015 सेंटलमेंट प्रदर्श–1 पेश की है। जिसके कॉलम में नंबर 3 में वादी का नाम अंकित है। जिससे वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर की खातेदारी की होना बताया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी की हो। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने वादग्रस्त भूमि में अवैध निर्माण होना बताया है। परन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज निर्माण के संबंध में प्रस्तुत नहीं किये है। वादी कब्जे के संबंध में ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस विवाद्यक के संबंध में कोई

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

साक्ष्य व सबूत एवं दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विवाधक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाधक संख्या 4 अनुतोष है। विवाधक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी मंदिर के खातेदारी की होना जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–1 से साबित है। जिसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य से नहीं किया गया है। वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा कराने के हकदार है और प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे काश्त में रूकावट नहीं डालने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है। वादी आदेशात्मक व्यादेश सावित नहीं कर पाने के कारण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दावा वादी आंशिक डिक्री किये योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है। वादी मंदिर को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 5727, 5728 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कस्बा करौली पटवार हल्का नंबर 9 तहसील करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादी मंदिर के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करें एवं दीगर व्यक्तियों को भूमि को रहन वय नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.5.26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली